

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2
॥ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारो
बृहस्पतिवार, 7 मार्च, 1996/फाल्गुन 17, 1917 ॥शक॥

संख्या : 246

सदस्यों को नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित अतिरिक्त
उपायुक्त पुलिस, मध्य दिल्ली से दिनांक 29.2.1996 को निम्नलिखित
संसूचना दिनांक 1.3.96 को प्राप्त हुई :-

"मुझे आपको सतम्मान सूचित करना है कि दिल्ली राष्ट्रियो
राजधानी राज्यक्षेत्र को विधान सभा के माननीय सदस्य
श्री राम भज को दिनांक 29.2.1996 को अपराहन 2.10 बजे
रामलोला मैदान, कमला मार्किट, दिल्ली से पुलिस के विधि सम्मत
निर्देशों को अवज्ञा करने के कारण पुलिस अधिनियम, 1978 को
धारा-65 के अंतर्गत नज़रबंद किया गया ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 29.2.1996 को अपराहन 2.20
बजे रिहा कर दिया गया ।"

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Thursday, March, 07, 1996/Phalgun 17, 1917 (Saka)

No. 246

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following wireless message dated 29.2.1996 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly from the Additional Deputy Commissioner of Police, Central District, Delhi was received on 1.3.1996 :-

"I have the honour to inform you that Shri Ram Bhaj, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of Police from Ram Lila Maidan, Kamla Market, Delhi at 2.10 P.M. on 29.2.1996..

He was released at 2.20 P.M. on 29.2.1996.

P.N. GUPTA
SECRETARY